

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय,  
बुलन्दशहर।

दिनांकित-6 मई, 2021


आदेश

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के द्वारा जारी आदेशों के अनुपालन में अधिवक्तागण एवं वादकारीगण का प्रवेश कोविड-19 की बामारी के कारण न्यायालय कक्ष में निषेध है तथा बुलन्दशहर स्थित दोनों सम्मानित बार संघ द्वारा प्रस्ताव के माध्यम से यह याचना की गयी है कि अग्रिम तिथियों में सामान्य तिथि नियत कर दी जाये। परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय एवं तीनों अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बुलन्दशहर में निम्न अनुसार सामान्य तिथियां नियत की जाती हैं-

<u>दिनांक</u>	<u>आपराधिक</u>	<u>दीवानी</u>
12.05.2021	23.06.2021	29.07.2021
13.05.2021	24.06.2021	30.07.2021
15.05.2021	25.06.2021	31.07.2021
17.05.2021	26.06.2021	02.08.2021
18.05.2021	28.06.2021	03.08.2021
19.05.2021	29.06.2021	04.08.2021
20.05.2021	30.06.2021	05.08.2021
21.05.2021	01.07.2021	06.08.2021
24.05.2021	02.07.2021	09.08.2021
25.05.2021	03.07.2021	10.08.2021
26.05.2021	05.07.2021	11.08.2021
27.05.2021	06.07.2021	12.08.2021
28.05.2021	07.07.2021	13.08.2021
29.05.2021	08.07.2021	16.08.2021
31.05.2021	09.07.2021	17.08.2021

तदनुसार सम्बन्धित न्यायालय एवं दोनों बार संघ, बुलन्दशहर तथा सूचनाधिकारी, बुलन्दशहर एवं सिस्टम ऑफिसर, बुलन्दशहर सूचित हों।

दिनांक-06.05.2021

  
(हरकेश कुमार)  
प्रधान न्यायाधीश,  
परिवार न्यायालय, बुलन्दशहर।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय,  
बुलन्दशहर।

प्रशासनिक आदेश संख्या-  
दिनांकित-06 मई, 2021

आदेश

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक-1946/LXXXVII-CPC/e-Court Allahabad dated-26-04-2021 में दिये गये नवीनतम दिशा-निर्देशों के अनुसार वर्तमान में कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलों को दृष्टिगत रखते हुए जिला न्यायालयों के संचालन हेतु नवीनतम दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं, जिसके सम्बन्ध में परिवार न्यायालयों के संचालन हेतु सम्मानित दोनों बार संघ, बुलन्दशहर की सहमति के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त पत्रांक में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुपालन में परिवार न्यायालय, बुलन्दशहर के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाला आवश्यक प्रकृति का कार्य निम्न प्रकार से परिवार न्यायालयों द्वारा सम्पादित किया जायेगा-

<u>पीठासीन अधिकारी</u>	<u>दिनांक</u>
1. श्री हरकेश कुमार, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बुलन्दशहर।	24.05.2021 व 25.05.2021
2. श्रीमती सोनिका चौधरी, अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, न्याय कक्ष संख्या-2, बुलन्दशहर।	26.05.2021 व 27.05.2021
3. सुश्री श्वेता वर्मा, अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, न्याय कक्ष संख्या-3, बुलन्दशहर। उपरोक्त सारणी में वर्णित पीठासीन अधिकारीगण अग्रिम आदेश	28.05.2021, 29.05.2021 व 31.05.2021

..2..

तक विभिन्न कार्य दिवसों में कार्य करेंगे।

उपरोक्त वर्णित न्यायालयों में नियुक्त पीठासीन अधिकारीगण के अवकाश पर होने की स्थिति में उक्त परिवार न्यायालय के प्रभारी अधिकारी उक्त कार्य को सम्पादित करेंगे।

बिन्दु संख्या-1 में उल्लिखित मामले जो वी0सी0/वर्चुअल मोड से न्यायालय परिसर में सम्पादित किये जायेंगे। वी0सी0/वर्चुअल मोड से




सुनवाई में कठिनाई होने पर पीठासीन अधिकारी भौतिक रूप से सुनवाई करने हेतु स्वतन्त्र होंगे।

ई-मेल के माध्यम से महत्वपूर्ण जरूरी प्रकृति के मामले प्रेषित किये जाने हेतु जनपद न्यायालय में सिस्टम ऑफिसर कम्प्यूटर द्वारा सृजित की गई ई-मेल आईडी [dcbulandshahr@gmail.com](mailto:dcbulandshahr@gmail.com) के माध्यम से प्राप्त किये जायेंगे, जिसे विद्वान अधिवक्तागण 11:00 बजे पूर्वान्ह तक निम्नलिखित जानकारी के साथ प्रस्तुत करेंगे-

1. न्यायालय का नाम
2. विद्वान अधिवक्ता का नाम, मो0नम्बर व ई0मेल आई0डी0
3. वादी व प्रतिवादी का नाम व मोबाईल नम्बर तथा ई-मेल आई0डी0

ऐसे विशिष्ट अधिवक्तागण को ही न्यायालय परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी, जिन्होंने कोविड-19 की RTPCR जांच नेगेटिव प्राप्त कर ली हो। इसके अलावा न्यायालय परिसर में विद्वान अधिवक्तागण/प्रतिवादी व लिपिकगण का अग्रिम आदेश तक प्रवेश निषेध रहेगा।

तदनुसार सम्बन्धित न्यायालय एवं दोनों बार संघ, बुलन्दशहर तथा सूचनाधिकारी, बुलन्दशहर एवं सिस्टम ऑफिसर, बुलन्दशहर सूचित हों।

  
06/05/21

(हरकेश कुमार)

प्रधान न्यायाधीश,

परिवार, न्यायालय, बुलन्दशहर।

दिनांक-06.05.2021